प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana-1

प्रिलिम्स के लिये:

PMGKAY, PMGKP, सार्वजनिक वितरण प्रणाली,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : महत्त्व एवं चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY-Phase V)** को 4 महीने की अवधि यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिये मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' **कोविड-19** के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये **'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP)** के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
    वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
  - प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत **तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020)** की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें **कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल** थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
    - इस योजना के **चरण- I और चरण- II** क्रमशः **अप्रैल से जून, 2020** और **जुलाई से नवंबर, 2020** तक संचालित थे।
    - योजना का **तीसरा चरण मई से जून 2021** तक संचालित था।
    - योजना का **चौथा चरण** वर्तमान में **जुलाई-नवंबर 2021** के लिये संचालित है।
  - इस योजना के तहत **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के तहत **5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त** में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - PMGKAY के इस नए संस्करण में इसके महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है जो कि वर्ष 2020 के PMGKAY में उपस्थित था: **NFSA** के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के लिये प्रतिमाह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल।
- **व्यय:**
  - पीएमजीकेएवाई चरण I- V में सरकार लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
  - PMGKAY-V में **53344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी** होगी।

- **अब तक आवंटन:**
    - PMGKAY (चरण 1 से 4) के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग **600 लाख मीट्रिक टन (LMT)** खाद्यान्न का आवंटन किया गया, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपए की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।
    - **PMGKAY 4 के तहत वितरण** का कार्य **वर्तमान** में चल रहा है और अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 93.8% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- **महत्त्व:**

  यह **दैनिक श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण** है, जिन्होंने कोविड-19 प्रेरित **लॉकडाउन** के मद्देनज़र अपनी नौकरी खो दी।
- **चुनौती:**

  एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अंतिम जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तब से **खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि** हुई है, जो **अब इस योजना के तहत शामिल नहीं** हैं।

स्रोत: पीआईबी